

अनुमण्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.- 80/2010 सी.आई.एस.क्र.- 80/2010

त्रिवेणी कुमार गुप्ता बनाम मनोज गुप्ता एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
24.01.2026	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। प्रतिवादीगण की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.10.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी की ओर से दिनांक 12.06.2025 को विक्रय पत्र क्रमांक 7417, दिनांक 18.09.2009, विक्रय पत्र क्रमांक 7416, दिनांक 18.09.2009, विक्रय पत्र क्रमांक 6692, दिनांक 28.08.2009, विक्रय पत्र क्रमांक 128, दिनांक 06.10.2010, विक्रय पत्र क्रमांक 7755, दिनांक 06.10.2009, विक्रय पत्र क्रमांक 14532, दिनांक 30.10.2009, विक्रय पत्र क्रमांक 2132, दिनांक 09.02.2010, केवाला दिनांक 04.02.1972 की प्रमाणित प्रति तथा स्वत्व वाद सं० 91/1963 एवं स्वत्व वाद सं० 322/1995 में पारित समझौता डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि उक्त दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाये। प्रतिवादीगण की ओर से न तो आपत्ति व्यक्त किया गया और ना ही प्रतिवादीगण सुनवाई में उपस्थित हुये। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी की ओर से दिनांक 12.06.2025 को दस्तावेज की सूची के साथ उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जो लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है। अतः न्यायहित में वादी के आवेदन को स्वीकृत कर उक्त दस्तावेज को क्रमशः प्रदर्श - 1 से प्रदर्श - 1/जी एवं प्रदर्श - 2, 2/ए अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। वाद आगामी दिनांक 17.02.2026 वास्ते वादी साक्ष्य। हस्ताक्षर ह०/- अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	